विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया

प्रथम चरण में आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए निम्न कार्य करने होंगेः–

1. **राजस्थान स्कोलरशिप वेब पोर्टल** rajpms.nic.in खोले।
2. New Student Registration पर क्लिक करें।
3. वहां उपलब्ध फार्म पर यथा स्थान स्वयं का, पिता एवं माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, धर्म, श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, आधार (Unique Identification No.), मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता, पत्राचार का एवं स्थाई पता के अतिरिक्त दसवीं कक्षा का रोल नम्बर, पास करने का वर्ष एवं बोर्ड का नाम अंकित करना होगा। आधार नम्बर के अतिरिक्त अन्य सभी सूचनाएं प्रदान किया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में पंजीकरण नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी को उपरोक्त सूचनाएं केवल एक बार ही पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी, इन सूचनाओं का विद्यार्थी द्वारा भविष्य में नवीनीकरण हेतु आवेदन करते समय भी उपयोग किया जावेगा।
4. उपरोक्त सूचनाओं को प्रेषित करने के उपरान्त विद्यार्थी को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा साथ ही यह सूचना उसके द्वारा दिए गए मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित किया जावेगा। विद्यार्थी को इस यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड को संभाल कर रखना होगा।
5. इसके पश्चात् **द्वितीय चरण** में विद्यार्थी को Login पर क्लिक कर उपलब्ध यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड डालकर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय विद्यार्थी को अपने संस्थान का नाम, पाठ्यक्रम का विवरण, वर्ष, माता/पिता की वार्षिक आय, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या मय बैंक के IFSC Code के उपलब्ध करवानी होगी।
6. विद्यार्थियों द्वारा सभी जानकारियां सही–सही भरी जानी आवश्यक हैं।
7. इसके पश्चात् आवेदन पत्र के भाग–अ एवं भाग–ब का प्रिन्ट निकाल कर निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में आवेदन ऑनलाइन भरने के अधिकतम 7 दिवस में जमा करवाना होगाः–

(क) जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति।

(ख) आय प्रमाण पत्र हेतु माता-पिता /अभिभावक का नोटेरी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) से सत्यापित घोषणा/शपथ पत्र की मूल प्रति

(ग) दसवीं कक्षा की अंक तालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

(घ) गत उत्तीर्ण समस्त परीक्षाओं की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि

(ड) फीस की मूल रसीद

(च) आवेदन पत्र पर उपयुक्त स्थान पर आवेदक का प्रमाणित फोटो

(छ) विद्यार्थी के बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति

(ज) मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

(झ) नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(ट) यदि संरक्षक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो माता/पिता/पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी आवश्यक होगी।

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए

- बी.पी.एल. प्रमाणपत्र की प्रति।
- नि:शक्तता प्रमाण पत्र/ विधवा / तलाकशुदा महिला / विधवा का पुत्र/पुत्री / तलाकशुदा महिला का पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण